

कार्यालय, चक्रधरपुर नगर परिषद
पश्चिमी सिंहभूम।

पत्रांक 223/

दिनांक 31/03/16

पुनः बन्दोबस्ती सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत साईकिल लाईसेन्स, भारत भवन स्थित काँजी हाउस एवं वार्ड न0- 15 स्थित बस पड़ाव की बन्दोबस्ती खुली डाक के माध्यम से अध्यक्ष, नगर परिषद, चक्रधरपुर की अध्यक्षता में नगर परिषद कार्यालय परिसर में दिनांक 07.04.2016 को अपराह्न 1.00 बजे से किया जायेगा।

इच्छुक व्यक्ति उक्त तिथि व समय को डाक में भाग ले सकते हैं। बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्ति को सुरक्षित जमा राशि का 25 % राशि जमानत राशि के रूप में दिनांक 7.4.16 को 12.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। असफल डाक वक्ता को जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी तथा उच्चतम डाक वक्ता को सफल घोषित करते हुए जमानत की राशि रख ली जायेगी।

बन्दोबस्ती को स्वीकृत / अस्वीकृत एवं रद्द करने का अधिकार चक्रधरपुर नगर परिषद को सुरक्षित रहेगा। नगर परिषद के पूर्व बकायेदार इस बन्दोबस्ती में भाग नहीं ले सकेंगे।

क्र. सं०	बन्दोबस्ती की विवरणी	सुरक्षित जमा राशि (रु०)	जमानत राशि (रु०)
1	2	3	4
1.	साईकिल लाईसेंस वसूली हेतु	40,000.00	10,000.00
2.	होडिंग वसूली हेतु	29,000.00	7,250.00
3.	बस पड़ाव की बन्दोबस्ती	8,00,000.00	2,00,000.00

नियम एवं शर्तें :-

- यदि बन्दोबस्तधारी निर्धारित समय पर किस्त जमा नहीं करते हैं तो चक्रधरपुर नगर परिषद को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने एवं बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- बन्दोबस्ती स्थल की साफ-सफाई, रोशनी, पानी एवं सुरक्षा व्यवस्था बन्दोबस्तधारी को स्वयं करना होगा।
- बन्दोबस्ती अवधि में किसी प्रकार का छुट नहीं दी जायेगी जैसे - दैनिक प्रकोप, हड़ताल, बन्दी, व्यापारियों के आवागमन पर होने वाले व्यवधान इत्यादि।
- बन्दोबस्ती स्थल के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाद अथवा दुर्घटना के लिए बन्दोबस्तधारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- उच्चतम डाक वक्ता की बोली गई राशि का 50% राशि कार्यदेश निर्गत के पूर्व जमा करना होगा शेष बची राशि दो किस्तों में जमा करना अनिवार्य होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी
चक्रधरपुर नगर परिषद

ज्ञापक 223/ नप0 चक्रधरपुर,

दिनांक 31/03/16/

प्रतिलिपि - सचिव, नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि - उपार्युक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, पोडाहाट चक्रधरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- थाना प्रभारी, चक्रधरपुर थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि किसी अप्रिय घटना के मद्देनजर उक्त तिथि व समय को पुलिस बल उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे

प्रतिलिपि - अध्यक्ष/उपाध्यक्ष चक्रधरपुर नगर परिषद को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि - अनुमंडल कार्यालय, चक्रधरपुर के सूचना पट्ट/ प्रखण्ड कार्यालय, चक्रधरपुर के सूचना पट्ट एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ तथा सभी पूर्व बन्दोबस्तधारी को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- सम्पादक - प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर एवं उन्कल सेल को सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि न्यूनतम पठनीय दर पर प्रकाशित की जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी
चक्रधरपुर नगर परिषद

12.9.509
30/3/16